

## राजस्थान ने रामगढ़ करेटर को भारत के पहले भू-वरिसत स्थल के रूप में मान्यता दी चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने बारां ज़िले में 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का प्रभाव के कारण बने 3 किलोमीटर व्यास वाले रामगढ़ करेटर को आधिकारिक तौर पर देश के पहले भू-वरिसत स्थल के रूप में मान्यता दी है।

### मुख्य बटु:

- रामगढ़ करेटर अपनी पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैवविविधता, स्थानीय समुदायों और समाज के लिये सांस्कृतिक तथा वरिसत मूल्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह महत्त्व **वनयजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत घोषित संरक्षण रज़िर्व अर्थात् **रामगढ़ संरक्षण रज़िर्व** के रूप में इसकी स्थिति से परलिकषति होता है।
- राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अनुसार, करेटर के अंदर स्थिति **पुष्कर तालाब** खारे और क्षारीय जल दोनों का स्रोत है, जो कषेत्र की सुंदरता तथा विविधता को बढ़ाता है।
  - इन झीलों को **वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रामगढ़ करेटर एक सांस्कृतिक कषेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों के महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है, जो वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, नगर-योजना या परदृश्य डिज़ाइन के विकास में परलिकषति होता है।
  - खजुराहो में **चंदेल राजवंश** और उनके मंदिरों से प्रभावित **भांड देव मंदिर**, इस तरह के आदान-प्रदान का एक उदाहरण है।
  - उल्का प्रभाव करेटर पर इसका निर्माण इसकी विशिष्टता और महत्त्व को बढ़ाता है।

### रामगढ़ करेटर



- यह राजस्थान में बारां ज़िले के रामगढ़ गाँव के निकट स्थिति विध्य परवत शृंखला के कोटा पठार में 3.5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का प्रभाव करेटर है।
- इसे औपचारिक रूप से भारत में तीसरे करेटर के रूप में स्वीकार किया गया है, इसके व्यास का आकार भारत में पहले से ही पुष्ट किया गए दो करेटरों के बीच होगा, मध्य प्रदेश में **ढाला** (14 किलोमीटर व्यास) और महाराष्ट्र के **बुलढाणा ज़िले में लोनार** (1.8 किलोमीटर व्यास)।

## वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की वभिन्न प्रजातियों के संरक्षण , उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के वनियमन एवं नयित्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है ।
- यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जनिहें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा नगिरानी प्रदान की जाती है ।
- वन्यजीव अधिनियम ने CITES (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था ।
- इससे पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था । लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rajasthan-recognizes-ramgarh-crater-as-india-s-1st-geo-heritage-site>

